लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4122

25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र कामगारों के लिए कार्यक्रम

4122. श्री पी.पी. चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के पारम्परिक वस्त्रों और हस्तशिल्पों विशेषकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ब्लॉक प्रिंट, टाई-डाई तकनीकों और हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या राजस्थान में कारीगरों और वस्त्र समूहों के लिए कच्चे माल की लागत को स्थिर करने के लिए कोई पहल कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो इन उपायों से छोटे बुनकरों और शिल्पकारों को किस प्रकार लाभ हो रहा है;

(ग) क्या राजस्थान के वस्त्र कामगारों को वैश्विक बाजार की बदलती मांगों के अनुरूप बनाने में सहायता करने के लिए कोई विशेष कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निर्यात वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के संदर्भ में राजस्थान के वस्त्र क्षेत्र को कोई सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत, कारीगरों को विपणन सहायता, डिजाइन कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहायता और अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री की आपूर्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और सहायक एसेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिटों, वर्कशेड का निर्माण, कौशल, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य बुनियादी ढांचे, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): वस्त्र मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) को लागू कर रहा है। यह प्रवेश स्तर और अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर, संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करता है।

****